न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 71/2015

अपीलांट

नथाराम पुत्र श्री कूपाजी जाति घांची निवासी ग्राम करणवा तहसील बाली जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टगण

1. मूलाराम पुत्र श्री समारामजी जाति घांची
2. सुजाराम पुत्र श्री समारामजी जाति घांची
3. रमेश कुमार पुत्र श्री समाराम जाति घांची
4. श्रीमती फाउडी पत्नी श्री समारामजी जाति घांची समस्त जातियान घांची निवासी ग्राम रकणवा तहसील बाली जिला पाली।
5. सरकार जरिये तहसीलदार जी पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित।

सरकारी पैरोकार रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 25.07.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी बाली द्वारा पत्रावली संख्या एफ.12 (3)राज/रास्ता/2015/1608 में पारित आदेश दिनांक 05.10.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता को न्यायालय की ओर से बार–बार आवाजे लगाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं आये। अत रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 के विरूद्ध गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता प्रदान कराने की मांग की। जिस पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पास सुगम रास्ता खसरा नंबर 2226 जो कि स्वंय रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी भूमि है। जो वैकल्पिक रास्ता हैं। सन्दर्भित धारा में यह स्पष्ट प्रावधान है कि रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होने पर ही रास्ता प्रदान किया जा सकता है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के सुविधाजनक उपयोग के लिए अपीलाण्ट की भूमि में से रास्ता प्रदान किया गया है, जबकि रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए के प्रावधानो की जांच किये बिना वैकल्पिक रास्ता होने के बावजूद जैर अपील आदेश पारित किया है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर प्रार्थी एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी ग्राम सेवाडी के खसरा नंबर 2205 व 2218 में आवागमन हेतु अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 04 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2213, 2214 व 2206 में से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार बाली द्वारा जो रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, उसमें रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, सुविधाजनक उपयोग एवं निकटतम एवं लघुतम मार्ग के आज्ञापक सिद्धान्तों पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की, एवं न ही उसें रेखांकित किया। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 2017 पेज 1 गिरदावरी जाट व अन्य बनाम सुल्तानराम व अन्य में प्रतिपादित किया कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 251ए–प्रार्थी की आराजी से रास्ता स्वीकृत करने का आदेश–अप्रार्थीगण का मामला नहीं कि मुरब्बा संख्या 48 से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध आधार पर नहीं है – सुलभ मार्ग प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा काश्तकार सुलभ मार्ग के आधार पर नये रास्ते का दावा नहीं कर सकता–अप्रार्थीगण उपलब्ध रास्ते का उपयोग कर रहे हैं–निर्णित, निचले न्यायालयों ने रास्ता स्वीकृत करने में त्रुटी की है तथा अपास्त होने योग्य है।" इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में इन तथ्यों की किसी प्रकार से जांच नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों के सम्बन्ध में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाली

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की जांच नहीं की गई है, जिसके कारण जैर अपील आदेश समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखंड अधिकारी बाली द्वारा पत्रावली संख्या एफ.12 (3)राज/रास्ता/2015/1608 में पारित आदेश दिनांक 05.10.2015 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.07.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली